

आदेश व इजाजत प्रकाश राजपुरोहित आई ए एस, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 99/2024 (घात 14 सेक्युरिटीज ऐक्ट)

रिलायंस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, वजीरुल कर्मलिका-11 की मजिस्ट्रेट, नार्थ साइड, आर-टोक
पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, भोरेगांव (पूर्व), मुंबई।

प्राथी वित्तीय संस्था

बनाम

1. दीप चन्द गुर्जर पुत्र भौरी लाल गुर्जर
2. कंचन गुर्जर पत्नी श्री दीप चन्द गुर्जर
पता-मकान नम्बर 2208, शेलों की गली, गणगौरी बाजार, जयपुर।
3. महेश दीपक गुर्जर पुत्र श्री दीपक गुर्जर
पता :- 4865, भोपले गली, विशाल गणपति मन्दिर के पास, कल्याण भुवन होटल, मालीवाडा,
अहमदनगर, महाराष्ट्र।
4. सुरेश गुर्जर पुत्र श्री दीप चन्द गुर्जर
पता-2208, शेलों की गली, पुरानी बस्ती, गणगौरी बाजार, जयपुर।
5. महावर सिंह पुत्र शंकर सिंह
पता :- 2215, शेलों की गली, गणगौरी बाजार, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी, सहऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the Securitization
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित:- श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.01.2024


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वित्तीय संस्था बैद फिनसर्व लिमिटेड (बैद लिजिंग एण्ड
फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड) ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.12.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत
प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री दीपचन्द गुर्जर पुत्र श्री भौरीलाल गुर्जर के स्वामित्व की सम्पत्ति
मकान नम्बर 2208, शेलों की गली, गणगौरी बाजार, रास्ता नाहरगढ़ का, चौकड़ी पुरानी बस्ती,
जयपुर राजस्थान, कुल क्षेत्रफल 339.23 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 9,50,000/-रुपये की
ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। वित्तीय संस्था बैद फिनसर्व लिमिटेड (बैद लिजिंग एण्ड
फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड) ने दिनांक 09.03.2023 को जरिये एसाईनमेन्ट अप्रार्थी का ऋण खाता
प्राथी वित्तीय संस्था रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को स्थानान्तरित कर दिया
गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर
अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.09.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी
किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी
वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिकारियों को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दरतापेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 9,50,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 24,75,489/-रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.09.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री दीपचन्द गुर्जर पुत्र श्री भौरीलाल गुर्जर के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति मकान नम्बर 2208, शेलों की गली, गणगौरी बाजार, रास्ता नाहरगढ़ का, चौकड़ी पुरानी बस्ती, जयपुर राजस्थान, कुल क्षेत्रफल 339.23 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रोत्साहित करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल आदेश आज दिनांक 30.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर